

23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.3.23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल

83/23

उपपत्र पत्रावली दिनांक 28.4.23 को पेश हो । कार्य से बाहर है / पदरिक्त है । अतः पत्रावली दिनांक 28.4.23 को पेश हो ।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

25/23

पत्रावली महंगाई राहत कॅम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत भद्रवानपुरा में पेश हुई । विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शापक किये गये । विपक्षीगण अनुपस्थित । प्रार्थीक प्राण्य स्वीकार किया जाकर निर्णय हफ्त से लिखा जाकर शापक किया गया । पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम है ।

हुक्मीचन्द रहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 42/23 प्रा०पत्र

1- श्री देवीलाल श/० मांगीलाल ब्राह्मण निवासी- गगतानपुरा तहसील- माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री उदयलाल श/० श्री हीरालाल शर्मा निवासी- गगतानपुरा तहसील- माण्डल (वर्ग 1)
(प्रा०पत्र 30/07/2023)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 12-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गगतानपुरा पटवार हल्का गगतानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 4323, 4324, 4310, 4312, 4317 कुल किता 05 रकबा 2-28.89 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24-02-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गगतानपुरा पटवार हल्का गगतानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 4323, 4324, 4310, 4312, 4317 कुल किता 05 रकबा 2-28.89 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक गगतानपुरा को 900/- रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारानु की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023